

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017

चौकसीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 189/2010 वाद पत्र

उनवान

1-भैरू पिता गोकल कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

- 1-केला पिता लखमा कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-छोगा पिता नंगजी कुमावत मृतक के बजाय
- 2/1-गोपी पिता छोगा कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2/2-मु० डाली बेवा छोगा कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-दीपा पिता नंगजी कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-मु० बदामी पत्नि दीपा कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-प्यारा पिता मेघा कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-डालु पिता मियाराम कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-भैरू पिता मियाराम कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-लादु पिता मियाराम कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9-मु० रामी पत्नि मोहनलाल कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10-मु० भंवरी पत्नि मथरा लाल कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1-जाकिर हुसैन -

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 30.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बागोलिया मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 19.05.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बाड़ी पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 01 लगायत 9 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1304 रकबा 0.34 हे०, 1315 रकबा 0.20 हे०, 1316 रकबा 0.24 हे०, 1317 रकबा 0.23 हे०, 1318 रकबा 0.23 हे० कुल किता 5 कुल रकबा 1.24 हे० भूमि स्थित है। बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के 1/32 हिस्से को बाई मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर कब्जे अनुसार आवागमन के रास्ते की भूमि को सामलाती रखते हुए शेष भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया गया था। जिसकी पालना में दिनांक 30.06.2017 को तहसीलदार रायपुर द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बाड़ी के आराजी नम्बर 1318/2 रकबा 0.0387 हे० भैरू पिता गोकल कुमावत सा० धुलखेड़ा, आराजी नम्बर 1304 रकबा 0.3400 हे०, 1315 रकबा 0.2000 हे०, 1316 रकबा 0.2400 हे०, 1317 रकबा 0.2300 हे०, 1318/1 रकबा 0.1913 हे० कुल कित्ता 05 कुल रकबा 1.2013 हे० केला पिता लखमा 31/120, छोगा दीपा पिता नंगजी 41/240, बदामी पत्नि दीपा 21/240, प्यारा पिता मेघा 31/240, डालु भैरू लादु पिता मियाराम 27/120, रामी पत्नि मोहनलाल, भंवरी पत्नि मथुरालाल 31/240 कुमावत सा० धुलखेड़ा खातेदार दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 30.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017

पौठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 189/2010 वाद पत्र

उनवान

1-भैरु पिता गोकल कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

- 1-केला पिता लखमा कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-छोगा पिता नंगजी कुमावत मृतक के बजाय
- 2/1-गोपी पिता छोगा कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2/2-मु० डाली बेवा छोगा कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-दीपा पिता नंगजी कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-मु० बदामी पत्नि दीपा कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-प्यारा पिता मेघा कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-डालु पिता मियाराम कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-भैरु पिता मियाराम कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-लादु पिता मियाराम कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9-मु० रामी पत्नि मोहनलाल कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10-मु० भंवरी पत्नि मथरा लाल कुमावत आयु वयस्क निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी द्वारा ग्राम बाड़ी के आराजी नम्बर 1318/2 रकबा 0.0387 हे० भैरु पिता गोकल कुमावत सा० धुलखेड़ा, आराजी नम्बर 1304 रकबा 0.3400 हे०, 1315 रकबा 0.2000 हे०, 1316 रकबा 0.2400 हे०, 1317 रकबा 0.2300 हे०, 1318/1 रकबा 0.1913 हे० कुल कित्ता 05 कुल रकबा 1.2013 हे० केला पिता लखमा 31/120, छोगा दीपा पिता नंगजी 41/240, बदामी पत्नि दीपा 21/240, प्यारा पिता मेघा 31/240, डालु भैरु लादु पिता मियाराम 27/120, रामी पत्नि मोहनलाल, भंवरी पत्नि मथुरालाल 31/240 कुमावत सा० धुलखेड़ा खातेदार दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 30.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा